म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर

परिवीक्षा आधिकारी/कल्याण अधिकारी लिखित परीक्षा–2010

परीक्षा दिनांक 01.09.2012 (शनिवार)

विज्ञप्ति क्र. 462 / 15 / 2012 / अनु–10 इन्दौर, दिनांक 23-10-2012

आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक–01/चयन/2010/01.02.2010 ऑनलाईन आवेदन अवधि 27/06/2012 से 27/07/2012 तक, परीक्षा आयोजन की सूचना दिनांक 25/06/2012, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि में परिवर्तन की सूचना दिनांक 17/07/2012, म.प्र. शासन, जेल विभाग के अंतर्गत अस्थायी पदों (परिवीक्षा अधिकारी 01 पद) तथा (कल्याण अधिकारी हेतु 02 पद) हेतु परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी लिखित परीक्षा–2010 परीक्षा दिनांक 01.09.2012 (शनिवार) को एक सत्र में प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक इन्दौर स्थित परीक्षा केन्द्र पर आयोजित की गई थी।

कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या **परिवीक्षा अधिकारीः–** अनारक्षित–04, अनुसूचित जाति–निरंक–, अनुसूचित जनजाति–निरंक–, अन्य पिछड़ा वर्ग– निरंक–, विकलांग–निरंक, भू.पू.सैनिक–निरंक– है। **कल्याण अधिकारीः–** अनारक्षित–04, अनुसूचित जाति–03, अनुसूचित जनजाति–निरंक–, अन्य पिछड़ा वर्ग–निरंक–, विकलांग– निरंक, भू.पू.सैनिक–निरंक– है।

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों की सूची निम्नानुसार है–

परिवीक्षा अधिकारीः–

S.No.	ROLL	NAME	REMARKS
1	10016	ANIRUDHA KUMAR TIWARI	
2	10177	RAM KUMAR CHAURASIA	
3	10237	SUDHIR KUMAR MISHRA	
4	10260	VANITA TIWARI	

कल्याण अधिकारीः–

S.No.	ROLL	NAME	REMARKS
1	10016	ANIRUDHA KUMAR TIWARI	
2	10101	LAKHAN LAL KORI	
3	10168	RAJESH CHOUHAN	
4	10177	RAM KUMAR CHAURASIA	
5	10210	SARITA GHAROO	
6	10237	SUDHIR KUMAR MISHRA	
7	10260	VANITA TIWARI	

23/10/12

टीपः—

(1) सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाऐंगे।

(2) लिखित परीक्षा **परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी लिखित परीक्षा—2010 परीक्षा दिनांक 01/09/2012 (शनिवार)** के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण फार्म एवं अग्रमान्यता फार्म आयोग द्वारा डॉक से आपके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये पते पर भेज दिये जायेंगे, जिन्हें विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (05 प्रतियों में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्र (प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न कर दिनांक 20-11-12 तक रजिस्टर्ड डॉक द्वारा, **सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर** में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण फार्म, अग्रमान्यता फार्म एवं आवेदन पत्र अंतिम तिथि 20-11-2012 तक आयोग में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त कर दी जायेगी।

(3) प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार दिनांक 12-12-2012 से आयोजित होंगे।

(4) आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा।

(5) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

(6) इस परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों के संशोधित प्रादर्श उत्तरकुंजी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 29.09.2012 को अपलोड कर दी गई है। अतः आयोग द्वारा उत्तरकुंजी अलग से प्रदाय नहीं की जायेगी। साक्षात्कार के बाद चयन परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही लिखित परीक्षा के कटआफ अंक आयोग की वेबसाईट पर डाले जा सकेंगे।

(7) लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

(8) प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचनाफलक पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना—फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

23/10/12

(डॉ. श्रीकृष्ण शर्मा)
परीक्षा नियंत्रक